That the following amendment made by the Lok Sabha in the Commissions of Inquiry (Amendment) Bill, 1990, be taken into consideration, namely:-

'Clause 3 *(New) After*

clause 2, *insert—*

"3. In section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in subsection (1), for the words "the House of the People, or as the case may be, the Legislative Assembly of the State", wherever they occur, the words "each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State" shall be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: I rnove:

That the amendment made by the Lok Sabha in the BL1 be agreed to.

The question was pit and *the motion was adopted,*

THE GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL, 1990

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Governors (Emo_ luments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 1990. We should finish it within two minutes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): Madam, I beg to move that:

That the Bill further to amend the Governirs (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982, be taken into consideration.

The question was Put and the. motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill^ The question is.

"That clause 2 stand part of the Bill". *The motion was adopted. Clause* 2 *was added to the Bill.*

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar); Madam, a point of order. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. Let me finish it. *(Interruptions)*

The House is adjourned for lunch till 2-30.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past one of the clock.

the House reassembled after lunch at thirtytwo minutes past two of the colck, The Vice-Chairman (Shri \Shankcr Dayal Singh) in the Chair.

THE WELFARE OF THE HANDI-CAPPED AND MENTALLY RETARDED CHILDREN BILL, 1990

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKER DAYAL SINGH): Now we take up Private Members' Legislative Business. Bills for introduction. The Welfare of Handicapped and Mentally Retarded Children Bill, 1990. Shri Suresh Pachouri.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : सभाध्यक्ष जी, आप तो हिन्दी में बोलिये। आपसे तो अपेक्षा है कि कम से कम आप तो हिन्दी में बोलें।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपकी अपेक्षायें सही हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास यह जो निर्देश हैं, अंग्रेजी में है इसलिये . . . (व्यवधान) . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, आप इस कुर्सी से व्यवस्था दीजिये कि इस प्रकार के निर्देश हिन्दी में भी आवें और जो पीठासीन अधिकारी हिन्दी में बोलना चाहें, हिन्दी में बोलें और जो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

अंग्रेजी में बोलना चाहें, अंग्रेजी में बोलें, लेकिन आप व्यवस्था तो दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप सभी के सहयोग से आगे इस तरह से कार्य चलेगा, आप आश्वस्त रहें। श्री सुरेश पचौरी। ...**(व्यवधान)**...

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप को इस आसन पर विराजमान होने के लिये बधाई दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : बहुत लेट बधाई दे रहे हैं आप ?

श्री ईश दत्त यादव : मैं भी अनुरोध कर रहा हूं जो श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा है, मैं भी अपने को उनसे संबद्ध कर रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अगर इस आसन पर विराजमान हैं तो हिन्दी का ही प्रयोग करें। बड़ी कृपा होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आप मेरी भावनाओं को जानते हैं, लेकिन जब मैं इस कुर्सी पर रहूंगा तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में काम करूंगा ताकि माननीय सदस्यों को ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : हम तो चाहते हैं कि आप तेलुगू, मलयालम, कन्नड आदि सब में काम करें लेकिन अंग्रेजी में न करें।

SHRI M. M. JACOB (Kerala): After all we are permitted to use English and Hindi. What is the objection in using English? If anybody wants to use English, he can use it.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"जन्म से विकलांग या मानसिक रूप से अविकसित बालकों के कल्याण और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE ESSENTIAL COMMODITIES PROCUREMENT AND **DISTRIBUTION** AUTHORITY BILL, **1990**

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"आवश्यक वस्तुओं का उचित दर पर सम्यक वितरण सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक वस्तुओं की वसूली और वितरण के लिये प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

The question was put and the motion was adopted.

श्री **सुरेश पचौरी** : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE FINANCIAL RELIEF TO OLD PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वृद्ध व्यक्तियों तथा जरूरतमन्द विधवाओं के लिये वित्तीय राहत दिये जाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।